UPSI010038152018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नवसृजित न्यायालय पॉक्सो एक्ट एवं बलात्संग मामले, कक्ष संख्या–15, जनपद–सीतापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–189/2018

CIS No. - 192/2018

उ0 प्र0 राज्य बनाम शाहनवाज

पत्रावली पेश हुई। पूर्व नियत तिथि पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को आवेदन संख्या–29ख, 34ख व 35ख पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेशार्थ पेश है।

निस्तारण आवेदन संख्या–29ख

आवेदन संख्या–29ख अभियुक्त की ओर से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद वास्ते साक्ष्य अभियोजन नियत है, जिसमें साक्षी संख्या–1 से जिरह चल रही है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर न्यायालय सी0जे0एम0 महोदय के आदेशानुसार साक्षी संख्या–1 तथा चार अन्य के विरूद्ध मुकदमा थाना कोतवाली में अपराध संख्या–184/2017 दिनांक 06.02.2017 को कायम हुआ था, जिसमें विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। प्रार्थी ने उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध प्रोटेस्ट पिटीशन न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अभी तक न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं हो सका। प्रार्थी का मुकदमा प्रस्तुत वाद का क्रास केस है, जिसमें साक्षीगण संख्या–1 का बयान भी अन्तर्गत धारा–161 सी0आर0पी0सी0 अंकित है। इसके अतिरिक्त विवेचक ने कुछ ऐसी साक्ष्य भी उसमें संचालित की है जिसकी साक्षी संख्या–1 से जिरह में आवश्यकता पड़ेगी। निम्न वाद की पत्रावली न्यायालय सी0जे0एम0 महोदय सीतापुर के न्यायालय में लंबित है। चूंकि उक्त पत्रावली उक्त वाद की क्रास केस है, विधानतः दोनों वादों का निस्तारण एक साथ एक न्यायालय द्वारा होना चाहिए। अतः निम्न पत्रावली इस न्यायालय में साक्षी संख्या–1 से जिरह के दौरान न्यायालय में तलब करने की कृपा करें।

उपरोक्त आवेदन के विरूद्ध वादिनी मुकदमा की ओर से आपत्ति कागज संख्या–30ख दाखिल करते हुए कथन किया गया कि उपरोक्त वाद में अभियुक्त शहनवाज द्वारा दिनांक 04.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र पत्रावली न्यायालय श्रीमान् सी0जे0एम0 सीतापुर के यहां से तलब करने हेतु दिया गया था, जिसके संदर्भ में प्रार्थिनी/वादिनी का निम्न निवेदन है, उपरोक्त प्रार्थना पत्र अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादिनी की जिरह के दौरान मात्र विचारण को विलम्बित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त वाद का कोई भी क्रास केस नहीं है। अभियुक्त शहनवाज ने स्वयं को बचाने के लिए व उपरोक्त मुकदमे में सुलह करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से फर्जी तथ्यों के आधार पर वादिनी श्रीमती अर्शी/साक्षी संख्या–1 को परेशान करने के लिए काफी समय बाद अपराध संख्या–184/2017, अन्तर्गत धारा–419, 420, 342, 323, 506, 147 भा0दं0सं0 में थाना कोतवाली, सीतापुर में दिनांक 06.02.2017 को श्रीमती अर्शी व उनके परिवार वालों के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसकी विवेचक द्वारा फर्जी व झूंठी पांकर अंतिम आख्या प्रेषित कर दी गयी है। विवेचक द्वारा मु0अ0सं0–184/2017 उक्त की विवेचना के दौरान वादिनी के दज किये गये बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 को किसी भी प्रकार से इस मुकदमे में जिरह के दौरान प्रयोग नहीं किया जा सकता है और न ही उन बयानों से कोई सहायता ही ली जा सकती है। अभियुक्त द्वारा उक्त तथाकथित क्रास केस के प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्य प्रपत्रों की सत्य प्रति प्राप्त करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है एवं उनमें उल्लिखित

तथ्यों की तरफ साक्षी का ध्यान आकृष्ट करके जिरह की जा सकती थी, लेकिन कोई प्रति प्रस्तुत न करके मात्र विचारण में विलम्ब कारित करने व वादिनी को परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा–45 के अन्तर्गत किसी साक्षी के पूर्व बयानों के बगैर दिखाये भी उनके तथ्यों के विषय में जिरह की जा सकती है, इसलिए किसी भी पत्रावली या अभिलेखों को उपरोक्त वाद के विचारण के इस स्तर पर तलब करना न्यायोचित नहीं है। अतः बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.01.2020 को निरस्त करने की कृपा करें।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पी0डब्लू0–1 से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.01.2021 को जिरह समाप्त की जा चुकी है। अतः पी0डब्लू0–1 से जिरह समाप्त हो जाने के पश्चात् पत्रावली तलब किये जाने की याचना औचित्यहीन है। अतः आवेदन संख्या–29ख निरस्त किये जाने योग्य है।

तद्नुसार आवेदन संख्या–29ख निरस्त किया जाता है।

दिनांक 16.03.2021

(अशोक कुमार दूबे–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश नवसृजित न्यायालय
पॉक्सो एक्ट एवं बलात्संग मामले,
कक्ष संख्या–15, जनपद सीतापुर।
JO CODE : UP6081

<u>निस्तारण आवेदन संख्या–34ख</u>

आवेदक/अभियुक्त का आवेदन संख्या–34ख के माध्यम् से संक्षेप में कथन है कि उक्त वाद आज साक्ष्य अभियोजन नियत है, जिसमें साक्षी नं0–1 पीड़िता का बयान अंकित किया जा चुका है, जिससे बचाव पक्ष की जिरह चल रही है। प्रार्थी/अभियुक्त ने भी एक रिपोर्ट साक्षी संख्या–1 व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध थाना कोतवाली, सीतापुर में अन्तर्गत धारा–419, 420, 468, 467, 471 दर्ज करायी थी, जिसकी विवेचना होने के पश्चात् विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध प्रार्थी ने प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय श्रीमान् सी0जे0एम0 महोदय सीतापुर द्वारा अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका है। उक्त वाद में दौरान विवेचना विवेचक ने साक्षी संख्या–1 पीड़िता का बयान दर्ज किया, पीड़िता ने कई लिखित प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र दाखिल किए, इसके अतिरिक्त विवेचक ने साक्षी संख्या–1 के प्रमाण पत्रों की जांच की, जिसमें सभी प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये हैं। प्रार्थी ने उक्त पत्रावली को तलब करने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा मौखित आदेश भी किया था कि पत्रावली मंगा ली जाए। प्रार्थी उक्त पत्रावली से संबंधित प्रपत्रों की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी प्रतिलिपि मिलने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। उक्त साक्षी संख्या–1 से जिरह बगैर उक्त प्रपत्रों के अथवा क्रास केस की पत्रावली के बिना संभव नहीं है। अतः अनुरोध है कि या तो क्रास केस की पत्रावली श्रीमान् सी0जे0एम0 सीतापुर के यहां से तलब करने की कृपा करें अथवा प्रार्थी को कम से कम 15 दिन का समय दिया जाये ताकि प्रार्थी प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करके महोदय के समक्ष दाखिल कर सके।

अभियुक्त की ओर से आवेदन संख्या–34ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि क्रास केस की पत्रावली न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर के यहां से तलब करने हेतु 15 दिन का समय दिया जाए अथवा उपरोक्त पत्रावली तलब कर ली जाए। सत्य प्रतिलिपि दिनांक 12.03.2021 को अभियुक्त

की ओर से दाखिल की जा चुकी है एवं साक्षी पी0डब्लू0–1 की पृच्छा भी पूर्ण की जा चुकी है। अतः ऐसी दशा में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन संख्या–34ख निरस्त किए जाने योग्य है।

तद्नुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन संख्या–34ख निरस्त किया जाता है।

दिनांक 16.03.2021

(अशोक कुमार दूबे–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश नवसृजित न्यायालय
पॉक्सो एक्ट एवं बलात्संग मामले,
कक्ष संख्या–15, जनपद सीतापुर।
JO CODE : UP6081

<u>निस्तारण आवेदन संख्या–35ख</u>

वादिनी मुकदमा की ओर से आवेदन कागज संख्या–35ख दाखिल करते हुए कथन किया गया कि उक्त वाद में वादिनी के अधिवक्ता उक्त वाद से संबंधित वादिनी की तरफ से कुछ फोटो ग्राफ्स न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में दाखिल करना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि न्यायहित में उक्त वाद के फोटो ग्राफ्स दाखिल करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

उपरोक्त आवेदन पर आपत्ति करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उक्त फोटो कब खींचे गये, कहां खींचे गये, क्या उक्त फोटो इस प्रकरण से संबंधित हैं अथवा नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किये जाने चाहिए।

आवेदन मे आवेदिका की ओर से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त फोटो ग्राफ्स किस स्थान पर किसके द्वारा और क्यों खींचे गये थे। अतः उक्त फोटो ग्राफ्स से कोई सहायता अभियोजन को प्रस्तुत मामले में प्राप्त नहीं होती है। अतः आवेदन संख्या–35ख निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन–35ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत दिनांक 01.04.2021 को पेश हो।

दिनांक 16.03.2021

(अशोक कुमार दूबे–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश नवसृजित न्यायालय
पॉक्सो एक्ट एवं बलात्संग मामले,
कक्ष संख्या–15, जनपद सीतापुर।
JO CODE : UP6081

कुशल कुमार/स्टेनो.

Digitally signed by Ashok kumar Dubey
Date: 2021.03.16 16:32:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur